राजमें धार्मिक शिक्षण

रजि० नं० बी४४४८

हरिजनसेवक

दो आना

भाग १२ सम्पादक – किशोरलाल मशरूवाला अंक ९

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाअी देसाअी
नवजीवन मुद्रणालय, कालुपुर, अहमदाबाद

अहमदाबाद, रविवार, ता० २ मअी, १९४८

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४; डॉलर ३

अंग्रेजीसे तरजुमा

हरिजनसेवक और हरिजनबन्धु पढ़नेवालोंका मुझपर अहसान है कि अुन्होंने ४ अप्रैलका मेरे सम्पादनमें निकला हुआ पहला अंक देखते ही अुसके विषयमें अपनी आशा-निराशाके पत्र भेजनेमें देर नहीं की। मैं अिसे अिस बातका निशान मानता हूँ कि वे अिन पत्रोंको अपनी चीज समझते हैं, और अिस बातकी फिक्र रखते हैं कि वे अच्छेसे अच्छे रूपमें निकलने चाहियें। अिसलिअे मुझे अुनकी सलाह-सूचना और टीका-टिप्पणीपर खुशी है।

अिस बातपर बहुतसे पाठक नाराज हैं कि ४ अप्रैलके हिन्दुस्तानी और गुजराती पत्रोंके बहुतसे लेख अंग्रेजीसे तरजुमा किये हुअे हैं। अुनका सवाल है कि सरदार वल्लभभाअी, श्री मंगलदास पकवासा और श्री राजेन्द्रबाबूके मूल लेख हिन्दुस्तानी या गुजरातीमें क्यों न लिखे गये? हरिजनसेवकके अुस अंकमें छोटे-मोटे कुल आठ लेखोंमेंसे सिर्फ २ मूल, १ गुजरातीसे और ५ अंग्रेजीके अनुवाद क्यों हैं? अिसी तरह हरिजनबन्धुमें ३ मूल, १ हिन्दुस्तानीसे और ४ अंग्रेजीके भाषान्तर क्यों हैं?

सवाल ठीक है, और अिसकी सफाअी देना भी जरूरी है। परन्तु सफाअी देनेसे पहले अब तक जो तीन अंक (४, ११ और १८ अप्रैलके) छप चुके हैं, अुनकी भाषाके आँकड़े देना ठीक होगा:

	हरिजनसेवक	हरिजनबन्धु
मूल लेख	१३	१४
देशी भाषासे अनुवाद	७	७
अंग्रेजीसे अनुवाद	१२	१३
कुल	३२	३४

अिसपरसे मालूम होगा कि मूल लेख और देशी भाषासे अनुवाद किये हुअे लेख मिलाकर ज्यादातर मजमून अंग्रेजीसे तरजुमा किये हुअे नहीं हैं।

जब अेक ही सम्पादक तीनों भाषाओंके पत्र निकालता है, तब अितना तो मान ही लेना होगा कि अक्सर हरिजनबन्धुके मूल लेखोंका अनुवाद हरिजनसेवकमें और हरिजनसेवकके मूल लेखोंका अनुवाद हरिजनबन्धुमें आवेगा ही। कभी कभी यह हो सकता है कि दोनोंमें अेक ही विषयपर स्वतंत्र रूपसे लिखा जाय। लेकिन हमेशा अैसा नहीं हो सकता। अगर यह आग्रह हो कि हरिजनसेवक या मराठीसे हरिजनबन्धुमें अनुवाद नहीं आना चाहिये और न हरिजनसेवकमें हरिजनबन्धु या मराठीसे अनुवाद आना चाहिये, तो वह अेक ही सम्पादकके लिअे असम्भव नहीं तो मुश्किल बात जरूर है।

अब रही अंग्रेजीसे अनुवाद करनेकी बात। अिसमें पाठकको अपनी भाषाका प्रेम और सहिष्णुता दोनोंका खुदमें मेल करना होगा। देश और परदेश दोनोंकी दृष्टिसे अंग्रेजी हरिजन निकालना जरूरी समझा गया है। अिसमें शक नहीं कि देशमें हिन्दुस्तानी (या हिन्दी कहिये) का प्रचार बढ़ रहा है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि आसाम, बंगाल, अुड़ीसा और दक्षिण हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तानमें अैसी परिस्थिति पैदा हो चुकी है कि वहाँके लोग अब अंग्रेजी हरिजनकी अपेक्षा हरिजनसेवक ज्यादा आसानीसे या शौकसे पढ़ और समझ लेंगे। लेकिन अगर हम समझदारी और अुदार दिलीसे काम लें और राष्ट्रभाषाके स्वरूपके विषयमें तंगदिली और कृत्रिमताको छोड़ सकें, तो वह स्थिति जरूर आनेको है। आज अगर सर्वोदय संस्कृतिमें दिलचस्पी रखनेवाले परदेशके लोगोंका हम खयाल न करें, तो भी अिन अखबारों द्वारा जिन विचारों और कामोंका प्रचार करनेका प्रयत्न किया जाता है, अुनसे खुद हमारे देशके अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओंको खाली (वंचित) रहना होगा। जब हरिजनसेवक या हरिजनबन्धुके संस्करण सब प्रान्तीय भाषाओंमें अच्छी तरहसे निकलने लगेंगे, तब शायद देशके लिअे अंग्रेजी हरिजनकी जरूरत न रह जायगी।

मतलब यह कि अंग्रेजी हरिजन आजकी अेक जरूरत मानी गअी है। तब सवाल यह है कि अंग्रेजी और देशी भाषाओंके हरिजन पत्रोंके बीच क्या नाता हो?

पहली बात यह है कि अंग्रेजीसे हिन्दुस्तानी या गुजरातीमें तरजुमा करनेवाले जितने काबिल मददगार पाये जा सकते हैं, अुतने हिन्दुस्तानी या गुजरातीसे अंग्रेजीमें तरजुमा करनेवाले नहीं पाये जाते। सोचिये कि गांधीजीने कअी बार यह निर्णय किया कि वे मूल लेख हिन्दुस्तानी या गुजरातीमें ही लिखेंगे, लेकिन क्यों आगे चलकर बार बार अुन्हें असल लेख अंग्रेजीमें लिखना शुरू करना पड़ा? सबब यह था कि अुनके मनपसन्द अंग्रेजी तरजुमा करनेवाले मददगार अुन्हें नहीं मिल सकते थे। कअी बार अुन्हें खुद ही अपने लेखोंका अंग्रेजी अनुवाद कर देना पड़ता था। श्री प्यारेलालजी, डॉ० सुशीला नय्यर वगैराको अुन्होंने कितनी मेहनतसे अंग्रेजी अनुवाद करने लायक बनाया, यह प्यारेलालजी वगैरा ही बता सकेंगे? अैसी हालतमें गांधीजीको अंग्रेजीमें ही मूल लेख लिखनेपर मजबूर हो जाना पड़ता था।

जब गांधीजीकी यह हालत थी, तब मेरी अपनी बात तो बतानेकी जरूरत ही नहीं रह जाती। मेरे पास अब तक तो नामके लिअे भी अंग्रेजी अनुवादक नहीं। मेरा अपना भी अंग्रेजीपर अच्छा प्रभुत्व नहीं। तब अंग्रेजीमें मैं शौकसे लेख लिखता हूँ, सो बात नहीं। अैसी हालतमें जो देशी लेखक आसानीसे और मुझसे ज्यादा अच्छे ढंगसे अंग्रेजीमें लिख सकते और लिखनेका मुहावरा रखते हैं और हिन्दुस्तानी, गुजराती और मराठीमें भी लिख सकते हैं, वे अगर कोअी अैसा लेख देशी भाषामें लिख भेजें, जिसका अंग्रेजीमें छपना जरूरी हो, तो अुसका अंग्रेजी तरजुमा या तो खुद अुन्हें भेजना होगा या फिर मुझे करना होगा। सम्भव है मेरा तरजुमा वैसा न बने, जैसा अुन्होंने सोचा हो। पहले अंककी ही बात लीजिये। सरदार पटेल और श्री पकवासा बेशक गुजरातीमें और श्री राजेन्द्रबाबू हिन्दुस्तानीमें लिख सकते थे। लेकिन अगर अिन तीनों नेताओंके लेखोंका अनुवाद अंग्रेजीमें मुझे करना पड़ता, तो वह मुझे अुनकी मदद होती या विशेष बोझ? अैसी हालतमें हरिजनकी शुरूआत और भी अेकाध सप्ताह मौकूफ रखनी पड़ती।

अेक यह व्यवस्था सोची जा सकती है कि तीनों पत्रोंमें या कमसे कम अेक तरफ हरिजनमें और दूसरी तरफ हरिजनसेवक और हरिजनबन्धुमें स्वतंत्र लेख ही छपें। अेक दूसरेसे अनुवाद कतअी न हो, चाहे लेखक हिन्दुस्तानी हो या परदेशी। अुस व्यवस्थामें अनुवादका भार ही अुठ जा सकता है, और अेक तरहसे सम्पादनका काम आसान हो जाता है। परन्तु अिसका नतीजा यह होगा कि पढ़ने योग्य कअी जरूरी लेखोंसे देशी भाषाके पाठकोंको महरूम रहना होगा, और श्री विनोबाजी जैसे व्यक्तिके हिन्दुस्तानी या मराठी लेखों और भाषणोंसे अंग्रेजी पढ़नेवालोंको। पाठक सोच लें कि यह अिन्तजाम क्या फायदेमन्द होगा?

आजकी व्यवस्थामें तीनोंमें कुछ न कुछ तरजुमा दिये बिना काम न चल सकेगा। फिर भी अगर तीनोंमें छपनेवाले मूल लेखों और अनुवादोंकी तुलना की जाय, तो मालूम होगा कि जितना लाभ हरिजन-सेवक और हरिजनबन्धुके पाठकोंको मूल लेखोंके विषयमें मिलता है, अुतना हरिजनके पाठकोंको अनुवादमें नहीं मिलता। मिसालके तौरपर श्री विनोबाके लेख और भाषण जिस रूपमें देशी भाषाओंके हरिजनमें आते हैं, अुस रूपमें अंग्रेजीके हरिजनमें नहीं आ सकते। दूसरी तरफ, अनुवादके ही रूपमें क्यों न हो, अंग्रेजीका पूरा अनुवाद हिन्दुस्तानी-गुजरातीके पाठकोंको मिल जाता है।

यह सही है कि न सिर्फ अंग्रेजीसे, बल्कि गुजरातीसे हिन्दुस्तानीमें या हिन्दुस्तानीसे गुजरातीमें भी भाषान्तर करनेमें कुछ कमियाँ आ जाती हैं। अिसके कअी कारण बताये जा सकते हैं। अिसके लिअे देशी भाषाओंके प्रेमका दावा करनेवाले भी जिम्मेदार हैं। परन्तु मैं अिस चर्चामें नहीं पड़ूँगा। अिन कमियोंपर नजर रखनेकी मेरी कोशिश है, और जो भी अुन्हें ध्यानमें ला देते हैं, अुनका मैं अहसान मानता हूँ। मेरी अर्ज है कि हम स्वभाषाका प्रेम रखते हुअे भी सहिष्णुता रखें।

अकोला, २२-४-'४८ **किशोरलाल मशरूवाला**

देहातियोंके बीच

[दिल्लीसे १६ मील दूर बखतावरपुरमें पिछले फसादोंमें कअी मुसलमान डरके कारण हिन्दू बन गये थे। अुनमेंसे कुछ अब फिर मुसलमान बन गये हैं, और कुछ बनना चाहते हैं। यहाँपर गाँववालोंकी अेक सभा ता० ६-४-'४८ की शामको रखी गअी थी। सभामें हिन्दुओंने कहा कि हम पहले भी मुसलमान भाअियोंसे कहते थे कि आप दबावसे कुछ न करें। अगर वे फिर मुसलमान बनना चाहें, तो जरूर बन सकते हैं। सभामें सिर्फ दो तीन आदमी ही बोले। वे बिलकुल देहाती लोग थे। अुन लोगोंके सामने विनोबाजीने नीचेका भाषण दिया। —सं०]

आज आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुअी है। क्योंकि आप लोग देहाती हैं, और मैं भी देहातका हूँ। जब कभी शहरमें जाता हूँ, तो लगता है कि किसी दूसरेके घरमें आ गया हूँ। लेकिन देहातमें अपना घर महसूस करता हूँ। दूसरी खुशी अिस बातसे हुअी कि यहाँ औरतें भी सभामें आअी हैं। अैसा ही होना चाहिये। स्त्री और पुरुष संसारकी गाड़ीके दो पहिये हैं। संसारमें सब काम दोनोंको मिलकर करने चाहियें। विद्या प्राप्त करनी हो, धर्मका आचरण करना हो, यात्रा करनी हो, गाँवका काम करना हो, तो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करें।

अेक बात मैं आप लोगोंको शुरूमें कह दूँ। शहरकी हवासे आप अपने देहातोंको बचाअिये। हालमें जो बुराअियाँ हुअीं, वे सब शहरकी हवासे हुअीं। देहातके अनपढ़ और गरीब लोग अुसमें फँस गये। देहातोंमें शहरके लोग आते हैं, अुन्हें बहकाते हैं, अुनमें फूट डालते हैं और झगड़े फैलाते हैं। शहरवाले आकर यदि अैसी बातें करने लगें, तो हम अुनसे कह दें — "मेहरबानी करके आप यहाँसे जाअिये। शहरके झगड़े हमारे यहाँ न लाअिये।"

गाँववालोंको हाथकी पाँच अुँगलियोंकी तरह रहना चाहिये। हाथकी पाँचों अुँगलियाँ समान थोड़े ही हैं? कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। लेकिन हाथसे किसी चीजको अुठाना होता है, तब पाँचों अिकट्ठी होकर अुठाती हैं। वे हैं तो पाँच, लेकिन हजारों काम कर लेती हैं। क्योंकि अुनमें अेका है। अगर अुनमें आपसमें झगड़ा चलता, तो कोअी काम ही नहीं हो पाता। हमारे यहाँ कहावत है न — "पाँच बोले परमेश्वर"? गाँवके पाँच लोग जब अेकराय होकर बोलते हैं, तब वह परमेश्वर ही बोलता है। लेकिन पाँचमेंसे तीन अेक बात कहें और दो दूसरी बात कहें, तो वह परमेश्वरकी वाणी नहीं बनती। अिसलिअे अगर आप गाँवका भला चाहते हैं, तो यह पहली बात तय कर लीजिये कि हम मिलजुल कर काम करेंगे।

मैंने सुना है कि यहाँ हिन्दुओंके साथ कुछ मुसलमान भी रहते हैं। यह सुनकर मुझे खुशी हुअी। लेकिन मुसलमानोंके साथ साथ कुछ सिक्ख, पारसी और अीसाअी भी होते, तो मुझे ज्यादा खुशी होती। (किसीने कहा — "दो अीसाअी घर भी हैं।" विनोबाजीने कहा — "तो अच्छी बात है।") भगवानका भजन करनेका तरीका हरअेकका अलग अलग होता है। और हरअेकके तरीकेमें कुछ खूबियाँ भी हैं। ये सब जब गाँवमें अपने अपने तरीकेसे भजन करते हैं और प्रेमसे रहते हैं, तो बड़ा आनन्द आता है। सितारमें सात अलग अलग सुर होते हैं। लेकिन सातोंके मिल जानेसे सुन्दर संगीत बन जाता है। अेक ही सुर रहता, तो अुस सितारको सुननेमें क्या आनन्द आता?

हिन्दुओंमें ही देखिये न; विष्णुकी पूजा, शंकरकी पूजा, देवीकी पूजा वगैरा कितने ही देवताओंकी पूजा चलती है। लोग कहते हैं — "यह क्या देवोंका बाजार लगा दिया?" मैं कहता हूँ कि रुचि अलग अलग है, तो बाजार भी होना चाहिये। भोजनमें रोज रोटी ही मिलती रहे, तो कोअी दूसरी चीज आपको खानेकी अिच्छा होती है या नहीं? अुसी तरह अगर अलग अलग नामोंसे परमेश्वरकी पूजा चलती है, तो गाँववालोंका आनन्द अुतना बढ़ गया समझिये। परमेश्वरके अनन्त रूप, अनन्त नाम हैं। किसीके चार लड़के होते हैं, तो चारोंके नाम भी अलग अलग रखे जाते हैं। वैसे ही भगवानके अेक रूपका नाम है विष्णु और दूसरेका नाम है कृष्ण। कोअी विष्णुका नाम लेगा, तो कोअी कृष्णका नाम लेगा। अुसमें हमारा क्या बिगड़ता है? सारे लोग भक्ति तो अेक ही भगवानकी करते हैं न? हरअेक अपनी अपनी रुचिके अनुसार नाम लेता है, तो हृदयको तसल्ली होती है।

अिसलिअे अगर मुसलमान अपने तरीकेसे भगवानका भजन करते हैं, तो हम अुनसे क्यों कहें कि तुम चोटी रखकर हिन्दू बन जाओ? हिन्दू बननेका भी बड़ा आसान तरीका लोगोंने निकाला है। कहते हैं कि सूअरकी हड्डी चूस ली, तो हो गया हिन्दू! हिन्दू धर्म अगर अितना आसान होता, तो फिर ऋषि-मुनियोंकी जरूरत ही क्या थी? यह क्या हिन्दू धर्म है? यह तो हिन्दू धर्मकी घोर निन्दा है।

हिन्दू धर्म कभी किसीको अपना धर्म छोड़नेको नहीं कहता। जिसका जो धर्म है, अुसीका पालन करते हुअे हरअेकको अच्छा अिन्सान बनना चाहिये। आज अिन्सानियत हिन्दुओंने भी छोड़ी है और मुसलमानोंने भी। दोनों झूठ बोलते हैं, खून करते हैं, मरीबोंको चूसते हैं और फिर भी अुनका धर्म नहीं बिगड़ता! धर्मकी असली बातें छोड़कर धर्मके नामपर दोनों धर्मविरुद्ध आचरण कर रहे हैं। दया, सत्य और प्रेम यही सच्चा धर्म है। अिन्सानियत बढ़ाना, प्रेम रखना, झगड़ोंको मिटाना यही धर्मका काम है।

अुद्योग धन्धोंके बारेमें राष्ट्रीय सरकारकी नीति

आज़ाद हिन्दुस्तानकी सरकारने आखिरकार देशके अुद्योग धन्धोंके विकासकी नीतिके बारेमें निश्चय कर लिया है। ७ अप्रैलको सरकारने अुद्योग धन्धोंसे सम्बन्ध रखनेवाली अपनी नीतिकी घोषणा कर दी और महत्त्वपूर्ण वादविवादके बाद हिन्दुस्तानकी पार्लियामेण्टने अुसे मंजूर कर लिया।

साफ शब्दोंमें कहा जाय तो सरकारकी यह नीति बहुत नरम और मामूली है। अुसमें अैसी कोअी बात नहीं, जो आज़ादीकी चमक महसूस करनेके लिअे अुत्सुक जनताका ध्यान अपनी ओर खींचे। अिस दृष्टिकोणसे सहमत होना मुश्किल है कि वह गांधीवादी समाजवादकी जीत है। शायद वह मिली-जुली अर्थ-व्यवस्थाके हिमायतियोंकी जीत है, जो आजके अर्थमें करीब करीब पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था ही है। सरकारकी औद्योगिक नीतिने खानगी अुद्योग धन्धोंको पूरे दस बरसकी लम्बी छूट दी है और "अुचित फैलाव और अच्छे कामके लिअे सारे सुभीते" देनेका वचन दिया है। अिस अरसेके बाद भी अुद्योग धन्धोंका राष्ट्रीयकरण करनेकी कोअी निश्चित बात नहीं कही गअी है। सिर्फ यह बताया गया है कि अुस समयकी हालतको ध्यानमें रखकर अिस सारे प्रश्नपर फिरसे विचार किया जायगा।

जिन अुद्योग धन्धोंका राष्ट्रीयकरण होगा और जिन अुद्योगोंकी सिर्फ नअी प्रवृत्तियोंपर ही राजका अधिकार होगा, अुनकी फेहरिस्तें अधूरी हैं। अखिल भारत कांग्रेस कमेटी द्वारा बनाअी हुअी राष्ट्रीय-योजना-कमेटी और आर्थिक-कार्यक्रम-कमेटीकी सिफारिशोंकी ताकतको बहुत बड़ी हद तक नअी बातें जोड़कर घटा दिया गया है।

हालाँ कि सरकारने मुकामी साधनोंका ज़्यादा अच्छा अिस्तेमाल करने और रोजानाके अिस्तेमालकी कुछ खास तरहकी जरूरी चीजोंमें मुकामी जनताको स्वावलम्बी बनानेकी दृष्टिसे गृह-अुद्योगोंपर जोर दिया है। लेकिन सादगी, अशोषण और मनुष्यताके गांधीवादी आदर्शोंकी बुनियादपर खड़े गाँव गाँवमें फैले हुअे गृह-अुद्योगोंके गहरे और पूरे अर्थको ठीक तरहसे नहीं समझा गया है। मिसालके लिअे, यह बात महसूस नहीं की गअी कि आजकी दुनियामें सहकारिताकी बुनियादपर अुद्योगोंको जगह जगह फैलानेसे ही सारे लोगोंको काम देने, राष्ट्रकी रक्षा करने और श्रम व पूँजीमें औद्योगिक समन्वय कायम करनेकी बड़ी बड़ी समस्याअें सही और अमली ढंगसे हल की जा सकती हैं। जब तक हरेभरे खेतों और छोटे छोटे कारखानोंके पास सहकारिताके आधारपर चालू किये हुअे बेशुमार गृह-अुद्योगोंमें मजदूरोंको पैदावारके साधनोंका मालिक नहीं बनाया जाता, तब तक 'ज्यादा माल पैदा करो' की कितनी ही पुकार क्यों न मचाअी जाय, अुससे कोअी फायदा न होगा। अिसलिअे हमारी आजकी आर्थिक बुराअियोंको दूर करनेका अेक मात्र रास्ता गांधीवादी अर्थ-व्यवस्था ही है; यानी खास खास अुद्योगों और जन-अुपयोगी व्यवसायोंका राष्ट्रीयकरण किया जाय और रोजानाके अिस्तेमालकी चीजें तैयार करनेवाले अुद्योगोंको हिम्मतके साथ जगह जगह फैलाया जाय। बेशक, यह फेरबदल धीरे धीरे होना चाहिये। लेकिन धीरे धीरे फेरबदल करनेकी दलीलको आजकी हालत ज्यादासे ज्यादा दिनों तक कायम रखनेका साधन नहीं बना लेना चाहिये।

अिसलिअे हमें यह कहते हुअे दुःख होता है कि राष्ट्रीय सरकारकी जिस औद्योगिक नीतिकी लम्बे समयसे प्रतीक्षा की जाती थी, अुसने हमारी अच्छीसे अच्छी कोशिशोंके बावजूद हममें कोअी अुत्साह पैदा नहीं किया। अुससे हमारी सारी आशाओंपर पानी फिर गया।

वर्धा, १५–४–'४८

(अंग्रेजीसे) **श्रीमन्नारायण अग्रवाल**

[स्पष्ट कहा जाय, तो मैंने खुद अभी सरकारकी औद्योगिक नीतिका अध्ययन और मनन नहीं किया है। अिसलिअे मैं प्रिंसिपाल अग्रवालकी टीकाको न स्वीकार करता हूँ और न अस्वीकार।

— कि॰ मशरूवाला]

ग्रामसेवक विद्यालय, वर्धा

नया सत्र

हमारे ग्रामसेवक विद्यालयका नया सत्र १ जुलाअी, १९४८ से शुरू होता है।

विद्यालयके नियमित कोर्समें तेल-घानी चलाने या हाथकागज बनाने जैसे अेक मुख्य अुद्योगका समावेश होता है। अिसके अलावा मधुमक्खी पालने, मुकामी चीजोंसे साबुन बनाने और ताड़ या खजूरका गुड़ बनानेके धन्धोंकी थोड़ी शुरूकी तालीम भी दी जाती है। यह कोर्स १० महीनेका है।

कोर्समें ग्रामप्रवृत्तिके सिद्धान्त, तन्दुरुस्ती, शरीरकी सँभाल और सफाअी, बहीखाता (बुक कीपिंग) और रचनात्मक कार्यक्रम जैसे विषयोंका भी समावेश किया गया है।

अभ्यासकी जरूरी चीजोंके खर्चके साथ कुल माहवारी खर्च लगभग रु० ४० आता है।

संस्थाका प्रास्पेक्टस और प्रवेश-पत्र मंत्री, ग्रामसेवक विद्यालय, मगनवाड़ी, वर्धाके पतेसे मँगवाया जा सकता है। आवेदन-पत्र स्वीकार करनेकी आखिरी तारीख ३१ मअी, १९४८ नियत की गअी है।

सालाना जलसा

विद्यालयका सालाना जलसा १८ अप्रैल, १९४८ को हुआ था। संचालककी रिपोर्टमें यह बताया गया कि अिस साल कुल ३७ विद्यार्थियोंने तालीम ली। अुनमेंसे सिर्फ १२ विद्यार्थियोंने १० महीनेका पूरा कोर्स लिया था।

विद्यार्थी देशके अलग अलग हिस्सोंसे आये थे। अुनमेंसे ७ अुड़ीसाके, ३ नेपालके, १ बिहारका और १ जयपुरका था।

अिन विद्यार्थियोंमेंसे ६ को पास जाहिर किया गया, और अुन्हें 'ग्राम अुद्योग विनीत' की पदवी दी जायगी। अिनमेंसे दोको विशेष योग्यताके प्रमाण-पत्र दिये गये हैं। अुनके नाम अिस प्रकार हैं:

अ. ग्राम अुद्योग विनीतकी पदवी।

(क) विशेष योग्यताके प्रमाण-पत्र पानेवालोंके नाम (योग्यताके क्रमसे):

नाम	अुद्योग	प्रान्त
१. हनुमानदास स्वामी	कागज	जयपुर
२. शान्तिनाथ शर्मा	कागज	नेपाल

(ख) पास होनेके प्रमाण-पत्र पानेवाले विद्यार्थियोंके नाम (अक्षर क्रमसे):

१ अप्पल नरसिंहालु	घानी	अुड़ीसा
२. केशरनाथ श्रेष्ठ	घानी	नेपाल
३. नारायण पाधि	कागज	अुड़ीसा
४. सूर्यराज अुपाध्याय	घानी	नेपाल

पदवीके लिअे सारे जरूरी विषयोंमेंसे कुछमें फेल होनेवाले लेकिन अपनी पसन्दके धन्धेमें दक्षता हासिल करनेवाले विद्यार्थियोंको धन्धेका ही प्रमाण-पत्र दिया गया।

ब. धन्धेके प्रमाण-पत्र पानेवाले विद्यार्थियोंके नाम (अक्षर क्रमसे):

१. अि॰ लक्ष्मीनारायण	घानी	अुड़ीसा
२. राममोहन राय	कागज	,,
३. रत्नाकर	कागज	,,
४. श्यामसुन्दर पंडा	घानी	,,

(अंग्रेजीसे)

हरिजनसेवक

२ मअी १९४८

राजमें धार्मिक शिक्षण

जब विधान-सभा आखिरी बार हिन्दुस्तानका विधान तय करेगी, अुस वक्त अुसके सामने यह सवाल चर्चाके लिअे खड़ा होगा। मसविदा कमेटीने अिस विषयपर नीचेकी तजवीजें पेश की हैं :

> २१. किसी व्यक्तिको अैसा कोअी टैक्स देनेके लिअे मजबूर नहीं किया जा सकता, जिसका पैसा किसी खास धर्म या सम्प्रदायको आगे बढ़ाने या बनाये रखनेके खर्चको पूरा करनेमें अिस्तेमाल किया जाय।
>
> २२. (१) अैसी किसी शिक्षण-संस्थामें, जिसका पूरा खर्च राजके पैसेसे चलता हो, राजकी तरफसे धार्मिक शिक्षण देनेका प्रबन्ध नहीं किया जायगा।
>
> लेकिन अैसी किसी शिक्षण-संस्थाको अिस धाराकी कोअी बात लागू नहीं होगी, जिसका प्रबन्ध राज करता हो मगर जिसकी स्थापना धार्मिक शिक्षण देनेकी शर्तपर ही किसी दान या ट्रस्टकी तरफसे की गअी हो।
>
> (२) राज द्वारा मान्य की हुअी या राजके खजानेसे मदद पानेवाली किसी भी शिक्षण-संस्थामें पढ़नेवाले किसी व्यक्तिको अुसकी मरजीके बिना, या वह नाबालिग हो तो अुसके संरक्षककी सम्मतिके बिना, संस्थामें दिये जानेवाले किसी भी प्रकारके धार्मिक शिक्षणमें भाग लेने या संस्थामें अथवा अुसके मकानके किसी आहातेमें होनेवाली पूजामें भाग लेनेके लिअे मजबूर नहीं किया जायगा।
>
> (३) कोअी जाति या सम्प्रदाय अपनी जाति या सम्प्रदायके विद्यार्थियोंके लिअे शिक्षण-संस्थामें, अुसके कामके समयसे बाहर, धार्मिक शिक्षण देनेका प्रबन्ध करे, तो अुसमें अिस धाराकी कोअी बात रुकावट नहीं डालेगी।

मेरी रायमें अिन धाराओंका मसविदा सन्तोष देनेवाला नहीं है। यह बात ध्यान देने लायक है कि २१ वीं धारा किसी धर्म या सम्प्रदायको आगे बढ़ाने या कायम रखनेके लिअे टैक्सके पैसे खर्च करनेपर किसी प्रकारकी पाबन्दी नहीं लगाती। अुसकी रोक सिर्फ अितनी ही है कि अिस खास मकसदसे किसी व्यक्तिपर कोअी टैक्स लादा न जाय।

अब २२ वीं धाराकी बात लीजिये। वह राज द्वारा पूरा खर्च देकर चलाअी जानेवाली शिक्षण-संस्थामें धार्मिक शिक्षण देनेपर रोक लगाती है। लेकिन 'पूरा खर्च' अिन शब्दोंका बहुत व्यापक अर्थ हो सकता है। जिस संस्थाको चलानेमें खानगी फण्डमेंसे हर साल थोड़े भी रुपये खर्च होते हों, वह 'पूरी पूरी' राजके पैसेसे चलती है अैसा नहीं कहा जा सकता; और अुसे 'धार्मिक शिक्षण' देनेका हक मिल जाता है, फिर अिस पदका कोअी भी अर्थ क्यों न किया जाय। अिसलिअे विधानमें अिस धाराके होते हुअे भी अगर शिक्षा-विभागके किसी मंत्रीको अपने प्रबन्धमें चलनेवाली सारी शिक्षण-संस्थाओंमें धार्मिक शिक्षण देनेकी छूट देनी होगी, तो अुसे अपने राजमें सिर्फ अितना ही अिन्तजाम करना होगा कि किसी संस्थाका पूरा खर्च राजकी तरफसे न चलाया जाय। २२ वीं धारामें अपवादरूप जो शर्त जोड़ी गअी है, अुससे यह बात ज्यादा साफ हो जाती है। अिस अपवादसे राज अैसी संस्थाओंका प्रबन्ध अपने हाथमें ले सकता है, जिनपर धार्मिक शिक्षण देनेका फर्ज लादा गया है।

अिस तरह अिन धाराओंमें धार्मिक शिक्षणके बिना शिक्षा देनेका दिखावा होते हुअे भी हरअेक शिक्षण-संस्थामें धार्मिक शिक्षण देनेकी सुविधा मिल जाती है। अगर राज द्वारा धार्मिक शिक्षण देनेका प्रबन्ध न करनेकी बातको अेक 'स्वतंत्रता' माना जाय, तो यह कहना होगा कि दाहिना हाथ जो कुछ देता है, अुसे बायाँ हाथ छीन लेता है।

लेकिन मैं अुन लोगोंमेंसे नहीं हूँ, जो यह मानते हैं कि शिक्षामें धार्मिक शिक्षणका कोअी स्थान नहीं है। मेरा यह विश्वास है कि शिक्षण-संस्थाओंमें धार्मिक शिक्षण देना चाहिये। अितना ही नहीं, संस्थाका सारा वातावरण धर्म और नीतिका होना चाहिये, और धार्मिक व नैतिक दृष्टिको अलग रखकर किसी विषयकी शिक्षा न दी जानी चाहिये। फिर भी मैं अुन लोगोंके साथ पूरी तरह सहमत हूँ, जो यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तानकी शिक्षण-संस्थाअें धर्मकी रूढ़ बातों और साम्प्रदायिक प्रचारके केन्द्र न बनें।

यह रुख समझानेके लिअे मुझे धार्मिक शिक्षणका अपना अर्थ बताना जरूरी है। यह बात ध्यान देने जैसी है कि विधानके मसविदेमें 'धार्मिक शिक्षण' शब्दोंको साफ साफ नहीं समझाया गया है। २१ वीं धारामें बरती गअी भाषासे 'धार्मिक शिक्षण' शब्दोंका अर्थ करना हो, तो वह "किसी खास धर्म या सम्प्रदायका शिक्षण" होगा।

लेकिन मैं आग्रहपूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि धार्मिक शिक्षणको "किसी खास धर्म या सम्प्रदायका शिक्षण" बनाये बिना भी धर्मकी शिक्षा दी जा सकती है और संस्थाके सारे कामोंमें धर्मका सच्चा वातावरण फैलाया जा सकता है। मेरा यह भी कहना है कि राजकी हर शिक्षण-संस्थामें अैसा धार्मिक शिक्षण देनेका प्रबन्ध होना चाहिये। आजकी दुनियाके लिअे यह अेक शाप है कि अेक तरफ तो शुद्ध धार्मिक शिक्षणका अभाव है (या यह कहना चाहिये कि निश्चित रूपसे अधर्मकी शिक्षाका प्रबन्ध है) और दूसरी तरफ किसी खास धर्म या सम्प्रदायके परम्परासे चले आये अप्रगतिशील ही नहीं, बल्कि प्रगतिका विरोध करनेवाले शिक्षणकी छूट है। अगर हमें जनताका नैतिक स्तर अूँचा अुठाना है, तो यह जरूरी है कि हम अेक तरफ अुठती पीढ़ीको निश्चित धार्मिक वातावरण दें और दूसरी तरफ सम्प्रदायवादको बढ़ावा न दें।

विधानमें अिस तरहका प्रबन्ध हो और मेरे कहनेका मतलब ज्यादा साफ हो, अिसलिअे मैं २१ वीं और २२ वीं धाराओंको अिस रूपमें रखनेका सुझाव पेश करता हूँ :

> धारा २१. राजकी आमदका कोअी भी हिस्सा किसी खास धर्म या सम्प्रदायको आगे बढ़ाने या कायम रखनेमें न तो खर्च किया जायगा और न खर्चके लिअे अलग रखा जायगा, और न अिसके लिअे किसीको कर देनेके लिअे मजबूर किया जायगा।
>
> धारा २२. (१) जिस संस्थाके चलानेमें राजकी तरफसे पूरा या कुछ अंशोंमें पैसा दिया जाता हो, अुसमें वह किसी खास धर्म या सम्प्रदायकी शिक्षाके लिअे प्रबन्ध नहीं करेगा, और न किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक शिक्षाकी शर्त रखनेवाले दान या ट्रस्टकी तरफसे कायम की हुअी शिक्षण-संस्थाका प्रबन्ध करनेकी जिम्मेदारी अपने सिर लेगा।
>
> अिस विधानका अमल शुरू होनेसे पहले अगर राजने अैसी कोअी जिम्मेदारी ली हो, तो वह अुचित मण्डलको अैसी संस्थाका प्रबन्ध सौंप देनेके लिअे जरूरी कदम अुठायेगा।
>
> लेकिन, पूरी तरह या कुछ अंशमें राजके पैसेसे चलनेवाली, अथवा किसी दान या ट्रस्टकी तरफसे कायम की हुअी और राजके प्रबन्धमें चलनेवाली संस्थामें, दान या ट्रस्टकी तरफसे सामान्य धार्मिक शिक्षण देनेका प्रबन्ध करनेकी शर्त रखी गअी हो या न रखी गअी हो, अथवा अुसकी तरफसे किसी खास धर्म या सम्प्रदायका शिक्षण देनेकी शर्त रखी भी गअी हो, तो भी अुस संस्थामें किसी खास धर्म या सम्प्रदायसे मुक्त या अुसकी मर्यादासे बाहरका सामान्य धार्मिक शिक्षण देनेमें अिस धाराकी कोअी बात लागू नहीं होगी।

२. राज द्वारा मान्य की हुअी अथवा राजके पैसेकी मददसे चलनेवाली किसी भी शिक्षण-संस्थामें पढ़नेवाले किसी व्यक्तिको किसी खास धर्म या सम्प्रदायकी शिक्षा लेनेके लिअे, अथवा संस्थामें या संस्थाके साथ जुड़े हुअे मकानमें या अहातेमें की जानेवाली कोअी खास धार्मिक या साम्प्रदायिक पूजामें भाग लेनेके लिअे मजबूर नहीं किया जायगा। (मुझे लगता है कि संरक्षककी सम्मतिसे भी किसी नाबालिगको अैसी बातोंमें भाग लेनेके लिअे मजबूर नहीं किया जा सकता।)

३. **अूपर बताअी हुअी बातोंके मुताबिक चलकर** अगर कोअी जाति या सम्प्रदाय किसी शिक्षण-संस्थामें, अुसके कामके समयसे बाहर, अपनी जाति या सम्प्रदायके विद्यार्थियोंको धार्मिक शिक्षण देनेका प्रबन्ध करे, तो अिस धाराकी किसी बातसे अुसमें रुकावट नहीं आयेगी।

यह लेख खतम करनेके पहले अिसी विषयसे सम्बन्ध रखनेवाली १९ वीं और २३ वीं धाराके बारेमें दो शब्द कह दूँ।

धारा १९ (१) अिस तरह है:

आम व्यवस्था, जनताकी नैतिकता और स्वास्थ्यका ध्यान रखकर और अिस हिस्सेमें बताअी गअी कायदेकी दूसरी शर्तोंके मुताबिक चलकर राजके सारे नागरिकोंको अपने अन्तःकरणके मुताबिक चलने और आज़ादीसे अपना धर्म मानने, अुसपर अमल करने और अुसका प्रचार करनेका अेकसा अधिकार है।

खुलासा:—किरपाण रखना और लेकर घूमना सिक्ख धर्म माननेमें शामिल समझा जायगा।

मेरा यह सुझाव है कि खुलासा देनेके बजाय खास धारामें "धर्म" शब्दके बाद ये शब्द जोड़े जायँ:

"और वे अपने धर्मकी निशानीके रूपमें कोअी छाप, प्रतीक, चिह्न या दूसरी कोअी चीज अपने शरीरपर धारण कर सकते हैं।"

२३ वीं धारा अिस प्रकार है:

२३. (१) हिन्दुस्तानमें या अुसके किसी हिस्सेमें रहनेवाले नागरिकोंके किसी भी भागको अपनी अलग भाषा, लिपि और संस्कृतिकी रक्षा करनेका हक होगा।

(२) धर्म, जाति या भाषाके आधारपर बने अल्पमतवाले दलोंके किसी व्यक्तिके राजकी तरफसे चलाअी जानेवाली शिक्षण-संस्थामें भर्ती होनेमें किसी तरहका भेदभाव नहीं बरता जायगा।

(३) (अ) धर्म, जाति या भाषाके आधारपर बने हुअे अल्पमत दलोंको अपनी मरजीकी शिक्षण-संस्थाअें कायम करके अुन्हें चलानेका हक होगा।

(आ) धर्म, जाति या भाषाके आधारपर बना हुआ अल्पमतवाला कोअी दल अैसी संस्थाकी व्यवस्था करता है, अिस कारणसे राज अपनी ओरसे शिक्षण-संस्थाओंको दी जानेवाली मददमें अुसके साथ कोअी भेदभाव नहीं करेगा।

अिस धारामें नीचेकी शर्तें जोड़नेका मेरा सुझाव है:

धारा (१) और (२): लेकिन राज अुसकी तरफसे चलाअी जानेवाली या अुसके द्वारा मान्य की हुअी संस्थामें भर्ती होनेके लिअे किसी अेक भाषा या लिपिके ज्ञानको या अुसके अध्ययनको जरूरी शर्त मान सकता है।

धारा (३): लेकिन राजकी मदद पानेवाली या न पानेवाली किसी शिक्षण-संस्थामें पढ़नेवाले हरअेक व्यक्तिको कोअी अेक भाषा या लिपिकी शिक्षा देना राज जरूरी मान सकता है।

वर्धा, १४-४-'४८

(अंग्रेजीसे) **किशोरलाल मशरूवाला**

दिल्लीके सवाल-जवाब

(१)*

कार्यकर्त्ताओंने सभामें अपनी अपनी कांग्रेस कमेटीकी ओरसे किये जानेवाले कामोंकी संक्षेपमें जानकारी दी। अन्तमें विनोबाजीसे कुछ अुपदेश देनेकी बिनती की गअी। अुसके जवाबमें विनोबाजीने कहा:

"आप लोगोंकी बातें मैंने तो सुन लीं। अब आप मेरी बात सुनना चाहते हैं। बचपनमें मैं कहानी पढ़ा करता था। हरअेक कहानीके नीचे साररूप अुपदेश लिखा रहता था। लेकिन अुस अुपदेशको मैं नहीं पढ़ता था। अिस तरह अुपदेश पढ़नेमें जब मुझे ही दिलचस्पी नहीं, तो दूसरोंको मैं कैसे अुपदेश दूँ? अिसलिअे आपको अुपदेश देनेके लिअे मुझे कुछ नहीं सूझता। आप लोग कुछ सवाल पूछेंगे, तो मैं जवाब दूँगा। अुससे आपके दिलकी बातें सुननेका मुझे मौका मिलेगा।"

अिसके बाद नीचे लिखे सवाल-जवाब हुअे:

हरिजनोंके लिअे विशेष संस्थाअें

सवाल १.—हरिजनोंके विद्यालय चलाये जाते हैं, अुनकी कान्फरेन्सें कराअी जाती हैं। लेकिन हरिजनोंके लिअे अिस तरह अलग कान्फरेन्सें क्यों हों? आम देहाती कान्फरेन्सें क्यों नहीं कराअी जातीं?

जवाब—जब तक हिन्दुस्तानमें हरिजन पड़े हैं, तब तक अुनके लिअे खास काम होते रहें, तो अुसमें कोअी दोष नहीं है। वास्तवमें हरिजन और परिजन यह भेद ही मिटना चाहिये। अुस दृष्टिसे हरिजनोंके विद्यालय चलाना या अुनको स्कालरशिप देना, यह काम मुख्य नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ कि हम किसी हरिजन लड़केको अपने घरमें ही रख लें। किसीके दो लड़के हैं, तो वह अुसको तीसरा लड़का समझकर अुसका पालन और शिक्षण करे। बहुतसी कान्फरेन्सोंसे जो काम नहीं होगा, वह अिससे जल्दी हो जायगा। लेकिन घरमें हरिजन रखनेकी बात आती है, तो हम कहते हैं कि घरवाले अुसके लिअे तैयार नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि यदि हम अितना काम करेंगे, तो भगवानका आशीर्वाद पायेंगे; और घर बैठे वह सेवा करेंगे, जिससे बढ़कर शायद ही दूसरी हो सकती है।

पापसे कमाया पैसा

स० २.—हम लोग किसी कामके लिअे चन्दा अिकट्ठा करते हैं। लेकिन वह पैसा बहुत हद तक शोषणसे कमाया होता है। तो क्या अुसका असर हम जिस काममें वह पैसा अिस्तेमाल करेंगे, अुसपर नहीं होगा? पापसे कमाया हुआ पैसा लेकर हमारे काम कैसे सफल हो सकते हैं? क्या गांधी स्मारक फण्डमें अिस तरहका पैसा लेना अुचित होगा?

ज०—यह बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम जितने काम करें, अुनके लिअे अगर पैसोंकी ही जरूरत हमें रहती हो, तो अैसा मानना चाहिये कि हमें काम करना नहीं आता। सेवाके कामोंके लिअे तो परिश्रमकी, मेहनतकी और बुद्धिकी मुख्य जरूरत होती है। पैसोंका भी कुछ अुपयोग हो सकता है। लेकिन पैसेका आश्रय नहीं होना चाहिये। हमारा काम अपने ही आधारपर स्वतंत्र रूपसे खड़ा होना चाहिये। अुसमें पैसेकी मदद मिले तो ठीक है। न मिले तो अुसके बिना हमारा काम रुके नहीं, अैसी रचना होनी चाहिये। यह विवेक करनेकी पहली बात हुअी।

दूसरी बात अिस सम्बन्धमें यह है: जिसके पाससे मुझे पैसे मिले हैं, अुसने वे बुरे मार्गसे कमाये हैं या अच्छे मार्गसे, अिसका फैसला करनेका अधिकार मेरा नहीं है। हाँ, पैसा देते समय वह अगर अुससे कुछ नाम कमाना चाहता हो, तो हम अुस पैसेको नहीं लेंगे। अेक भाअी मुझे हरिजनोंके कामके लिअे पैसे देनेको तैयार हुआ। लेकिन अुसने सुझाया कि अिस पैसेसे जो कुँआ बने, अुसपर

* ता० ४-४-'४८ को शामके ४ बजे श्री जैन महावीर मन्दिरमें हुअी दिल्लीके कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंकी सभामें किये गये सवाल-जवाब।

मेरा नाम रखा जाय। मैंने कहा—"नाम रखकर क्या करोगे? क्या अुस कुँअेमें डूब मरना है?" वर्धामें राम नायडूके नामसे शहरका अेक हिस्सा बढ़ाया गया है, जिसे रामनगर कहते हैं। शहरके बाहर अेक हनुमान टेकड़ी भी है। वहाँ मैं घूमनेके लिअे जाता था। मेरे साथके भाअीको मैं समझा रहा था कि हम जहाँ खड़े हैं, वह जानकी टेकड़ी है। पड़ोसकी दूसरी टेकड़ी लक्ष्मण टेकड़ी है और अुसके बाजूकी हनुमान टेकड़ी है। पहली दो टेकड़ियोंके नाम मेरे रखे हुअे थे। अुस भाअीने कहा—"यह बड़ा अच्छा है। अिधर रामनगर, अुसके पास जानकी टेकड़ी, लक्ष्मण टेकड़ी और हनुमान टेकड़ी है।" मैंने कहा—"रामनगर नाम तो राम नायडूके नामपरसे पड़ा है।" लेकिन अुस राम नायडूको अब कौन जानता है? वह तो राममें डूब गया। अिन बेचारोंके बाप अपने लड़कोंका नाम भगवानपर ही रख देते हैं।

अेक नाटक कम्पनीवाला मेरे पास आकर कहने लगा—"नाटकके अेक खेलका पैसा मैं आश्रमको देना चाहता हूँ।" मैंने कहा—"वैसे तो पैसे मैं ले लेता; क्योंकि किसी पैसेपर नाटक कम्पनीका नाम थोड़े ही लिखा होता है? लेकिन अपने पैसोंका परिचय दिये बगैर आप दे देते, तो मैं ले लेता। अब नाटक कम्पनीके नामसे मुझे पैसे नहीं चाहियें।"

मतलब यह कि जिस पैसेको स्वीकार करनेसे पापकी प्रतिष्ठा बढ़ती है या दोषी जीवनका रंग चढ़नेकी सम्भावना रहती है, अुस पैसेको नहीं लेना चाहिये। लेकिन बतौर प्रायश्चित्तके कोअी देगा, तो मैं ले लूँगा। हरअेक मनुष्य पुण्य करता है और पाप भी करता है। दूसरोंके पाप-पुण्योंका फैसला करनेवाला काजी बनना मेरा काम नहीं। गांधीजीके स्मारक फण्डमें जो लोग पैसा देंगे, अुनमें श्रीमान भी होंगे, लेकिन गरीब भी बहुत होंगे। गांधीजीका तरीका यही था कि वे गरीबके पाससे भी पैसा जमा करते थे और अुसे ही महत्त्व देते थे। और श्रीमानका पैसा भी तो आखिर गरीबोंका ही है। गरीबोंसे अुसने लूट लिया था, तो मैं अुसको भी अहिंसक तरीकेसे क्यों न लूटूँ?

और जब पैसेका अुपयोग हम शुद्ध काममें करते हैं, तो अुसे भी शुद्ध कर देते हैं। "अमेध्यादपि कांचनम्" कहा ही है। कीचड़से भी कांचनको लेना, यह तो सज्जनोंकी रीति ही है। पापीका पैसा पुण्य कार्यमें लगनेसे अुसके पापका छेदन हो जायगा। मिलवालोंसे लिया हुआ पैसा जब मैं खादीके काममें लगाता हूँ, तो मैं मिलोंकी हस्तीपर ही हमला करता हूँ। हमारे समाजवादी मित्र कहते हैं कि मिलें देशकी मिल्कियत बननी चाहियें। मैं भी यह चाहूँगा। लेकिन मैं अुनसे कहता हूँ कि वह जब होगा तब होगा। लेकिन तब तक क्या करोगे? तब तक क्या मिलका कपड़ा पहनकर अपने हाथोंसे अुन्हें मदद देते रहोगे? हम सब खादी पहनेंगे, तो अुनकी मिलें ही टूट जायँगी। फिर वे हमारी शरणमें आयेंगे। तब मैं अुन्हें समझाअूँगा कि मिलोंकी व्यवस्था कैसी करनी चाहिये।

चरखेकी अयोग्यता

स० ३.—आठ घण्टे चरखा चलानेपर भी जितने पैसे मिलते हैं, अुतनेसे कत्तिनोंका गुजारा नहीं होता। अिसलिअे लोग चरखा नहीं चलाते। अगर अुसमेंसे पूरी रोजी मिल जाय, तो शायद सब देहातोंमें चरखे चलने लग जायँ।

ज०—अिसका जवाब बिलकुल सरल है। मैं दिनमें घण्टा डेढ़ घण्टा रोज घूमता हूँ। अगर मैं आठ घण्टे भी घूमूँ, तो क्या अुसमेंसे मुझे रोजी मिलनेवाली है? घूमनेसे हवा खानेको मिलेगी, रोटी कैसे मिलेगी? अगर मैं आम बोता हूँ, तो अुसमेंसे केले कैसे पाअूँगा? मेरा कहनेका मतलब यह है कि सूत कातनेसे कपड़ा मिल सकता है, रोटी कैसे मिलेगी? चरखा-संघने चरखेसे रोटीका कुछ सम्बन्ध जोड़ दिया है। लेकिन चरखेका मुख्य काम रोटी देना नहीं है, कपड़े देना है। और यह कोअी छोटी बात नहीं है। लोग कहते हैं मनुष्यकी पहली आवश्यकता अन्न है और दूसरी वस्त्र। लेकिन अेक तरहसे वस्त्रको पहली जरूरत समझना चाहिये। हम अेकाध दिन फाका तो कर लेते हैं, लेकिन अेक दिन भी नंगे नहीं रहते। कपड़ा ठंढ और हवासे तो बचाता ही है, साथ ही वह हमारी लाज भी बचाता है। और यही आजके समाजमें कपड़ेका मुख्य अुपयोग है। वह मनुष्यकी सभ्यताकी निशानी बन गया है। अिस लिहाजसे कपड़ेको मनुष्यकी पहली आवश्यकता समझना चाहिये। वह आवश्यकता चरखा पूरी कर देता है। अिससे अधिक चरखेसे और क्या अपेक्षा रखेंगे? मनुष्यकी नग्नताको ढाँकना यह चरखेका दावा है।

सूत-शर्त

स० ४.—खादी-भण्डारमें खादी खरीदनेवालोंके लिअे सूत-शर्त रखी गअी है। लेकिन अीमानदारीसे खुदका कता सूत देनेवाले बहुत कम लोग अण्डारमें आते हैं। अिस सूत-शर्तको क्यों न हटाया जाय?

ज०—आपकी तसल्लीके लिअे पहले तो मैं कह देता हूँ कि चन्द रोजमें खादी बिक्रीपरसे सूत-शर्त अुठ जायगी।

लेकिन मैं आप लोगोंसे कह देना चाहता हूँ कि चरखा-संघके भण्डारोंमेंसे ही कपड़ा खरीदनेका हम सोचते रहेंगे, तो खादी टिकनेवाली नहीं है। देहाती लोगोंको तो अपने लिअे खादी पैदा करनी ही है, जैसे वे अन्न पैदा करते हैं। शहरवाले अन्न तो पैदा ही नहीं कर सकते, तो वे कमसे कम वस्त्र तो अपने घरोंमें पैदा करें! अुससे अुनके जीवनमें कुछ विविधता भी आयेगी। लगातार अेक ही काम करते रहनेमें मनुष्यको आनन्द नहीं होता। वे अगर अपने घरमें चरखा चलायेंगे, तो अुनके लिअे वह अेक आनन्दका साधन बन जायगा। अुससे कुटुम्बमें परस्पर सहकार भी बढ़ेगा। अेक कपास ओट देगा, दूसरा अुसकी पूनी बनायेगा, तीसरा कातेगा, चौथा अुसको दुबटा करेगा। अिस तरह चलेगा। सूत दुबटनेपर बुनना तो खेल-सा हो जाता है। मैं तो कहूँगा कि फिर घरमें अेक करघा भी लगा सकते हैं और महीने भरमें घरका सारा कपड़ा बुन सकते हैं।

आपके घरोंमें पानीके लिअे नल लगे हैं। लेकिन क्या वे बारिशके बूँदकी योग्यता रखते हैं? बारिशका बूँद छोटा भले हो, पर वह सब जगह गिरता है, अिसलिअे अुसकी योग्यता महान है। चरखेमें यह खूबी है। चरखा थोड़ी थोड़ी सम्पत्ति सब घरोंमें देगा। अर्थ-शास्त्रका सबसे बड़ा सिद्धान्त यह है कि सम्पत्तिका बँटवारा ठीक हो। चरखा अपने आप अुस सवालको हल कर देता है।

पूँजीवालोंके पंजेसे आप छूटना चाहते हों, तो चरखा चलाअिये। घरमें माँ बच्चेको चरखेके जरिये देशप्रेम सिखा सकती है। बचपनमें मैं नाश्तेके लिअे जाता, तो माँ मुझसे कहती—"पहले तुलसीको पानी दे, फिर नाश्ता मिलेगा।" अिसी तरह बच्चेकी धर्मभावनाका पोषण किया जाता है। तुलसीका पेड़ छोटा होता है। अुसमें हर रोज पानी डालनेमें हिन्दू कुटुम्ब धर्मभावना समझता है। वैसे ही माँ बच्चेको हर रोज चरखा कातनेको कहेगी, तो देशप्रेम बढ़ेगा। हर रोज परिश्रममें कुछ न कुछ हिस्सा लेना है, यह समझकर हम कातेंगे, तो गरीबोंसे हमारा अनुसन्धान रहेगा।

सूचना

हमारी दिल्ली शाखाका दफ्तर, जो चाँदनी चौकमें था, अब नअी दिल्लीमें हटा दिया गया है। 'हरिजन' साप्ताहिकोंके अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दुस्तानी और अुर्दू चारों संस्करण और दूसरे सब प्रकाशन वहाँ मिल सकते हैं। शाखाका पूरा पता यह है:—

नवजीवन कार्यालय (शाखा)
थिअेटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग,
रूम नं० २६, २७, २७अे,
अेअर अिण्डियाके सामने, कनॉट प्लेस,
नअी दिल्ली

वोट देनेका तरीका

[यह लेख अगस्त, १९४६ में लिखा गया था। कुछ दोस्तोंने अुसे पढ़ा था। अुनमेंसे अेक दोस्त छपवानेके लिअे अुसकी अेक नकल भी ले गये थे। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, वह छपा नहीं था। पिछले हफ्ते जब डॉ० राजेन्द्रप्रसाद वर्धामें रहे, तब अुनके साथ कुछ दोस्तोंने वोट देनेके तरीकोंपर बहस की। मैं भी वहाँ हाजिर था, और मैंने नीचेके लेखमें समझाये गये दृष्टिकोणसे अुसमें हिस्सा लिया था। बादमें श्री राजेन्द्रबाबूसे मैंने यह लेख पढ़ जानेकी बिनती की। पढ़नेपर अुन्होंने कहा कि लेख सामयिक है, अिसलिअे हरिजनमें दे दिया जाय। क्योंकि थोड़े समय बाद यह विषय विधान-सभाके सामने चर्चाके लिअे आनेवाला है। अुनकी बात मानकर ही मैंने यह लेख यहाँ दिया है।

पुरानी हुकूमतके वातावरणको ध्यानमें रखकर यह लेख लिखा गया था। अिसलिअे अिसमें पार्टियोंके पुराने नाम देखनेमें आयेंगे। अुनमेंसे कुछ पार्टियोंका तो अब शायद नाम ही रह जाय। लेकिन अुससे लेखमें जिन खास अुसूलोंकी चर्चा की गअी है, अुनमें कोअी फर्क नहीं पड़ता। अिसलिअे पाठकोंसे मेरी बिनती है कि वे अिन नामोंको अुसी तरह देखें, जिस तरह वे मेरे द्वारा दिये गये **क, ख, ग** नामोंको देखते।

१३-४-'४८ —**कि० मशरूवाला**]

(१)

किसी न किसी समय वोट देनेके तरीकेपर विचार करनेकी बात विधान-सभाके सामने जरूर आयेगी। आज हिन्दुस्तानमें चुनावोंका नीचे लिखा तरीका काममें लाया जाता है। मतदाताओंको अेक या अेकसे ज्यादा मेम्बर चुने जानेवाले अलग अलग निर्वाचन-क्षेत्रोंमें बाँट दिया जाता है। अेक मेम्बर चुने जानेवाले निर्वाचन-क्षेत्रमें हरअेक मतदाताको अेक ही वोट देनेका हक होता है, और कायदेसे जाहिर किये गये अुम्मीदवारोंमेंसे किसी भी अेकको वह अपना वोट दे सकता है। अेकसे ज्यादा मेम्बर चुने जानेवाले निर्वाचन-क्षेत्रमें, बहुतसे प्रान्तोंमें "क्युम्युलेटिव वोटिंग"का तरीका—यानी अेक ही अुम्मीदवारको सारे वोट अेक साथ देनेकी छूटवाला तरीका—काममें लाया जाता है। मतलब यह है कि अुस निर्वाचन-क्षेत्रसे जितने मेम्बर चुने जानेवाले हों, अुतने वोट हरअेक मतदाता दे सकता है। मतदाताको अितनी छूट है कि वह किसी अेक अुम्मीदवारको जितने वोट देना चाहे दे। यह कहा जाता है कि वोट देनेके अिस तरीकेसे अल्पमतवालोंको या छोटे-छोटे दलोंको चुने हुअे मण्डलोंमें नुमाअिन्दगी पानेका मौका मिलता है। अिसके साथ साथ "सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट" नामसे पहिचाने जानेवाले तरीकेकी हिमायत की जाती है और छोटे पैमानेपर अुसका अमल भी होता है। लेकिन बड़े पैमानेपर होनेवाले चुनावोंमें अभी कोअी अुसे पसन्द नहीं करता, क्योंकि वह वोट देने और गिननेकी निगाहसे बहुत ज्यादा पेचीदा है।

लेकिन वोट देनेका तरीका चाहे जैसा हो और चुनाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे होता हो अथवा सामान्य या सीमित मताधिकारकी बुनियादपर होता हो, पार्टीबन्दीके आधारपर चलनेवाली राजनीतिमें वोट देनेके अूपर बताये हुअे किसी भी तरीकेसे मतदाताको अपनी पसन्दका अुम्मीदवार चुननेका ठीक मौका नहीं मिलता। वह काम कुछ व्यक्तियों द्वारा पहले ही कर दिया जाता है। अर्जी देनेवाले बहुतसे लोगोंमेंसे वे हर सीटके लिअे अेक अुम्मीदवार पसन्द कर लेते हैं। और फिर मतदाताको बताया जाता है कि या तो वह अिस अुम्मीदवारको अपना प्रतिनिधि माने या फिर पार्टीको ही नामंजूर कर दे। मिसालके तौरपर, अगर किसी मतदाताको यह लगे कि 'हाअी' या 'लो' या दूसरे किसी कमाण्डने **ख** के बदले **क** को अुसके निर्वाचन-क्षेत्रके लिअे अुम्मीदवार पसन्द करके गलती की है, तो अुसे अपनी पसन्द या नापसन्द जाहिर करनेका मौका नहीं मिलता। या तो अुसे अिस गलतीकी अुपेक्षा करनी होगी या अगर अुसे वह गलती बहुत खटकती हो, तो वोट न देनेका निर्णय करना होगा; या अिससे भी ज्यादा बुरा रास्ता अुसे यह लेना होगा कि वह कांग्रेसको वोट देनेके बजाय अुसकी विरोधी पार्टीको अपना वोट दे। लेकिन कांग्रेसके प्रति अुसका प्रेम और आदर अुसे विरोधी पार्टीको वोट देनेसे रोकेगा; और अगर पार्टियोंका तगड़ा मुकाबला हो, तो अुसके दोस्त वोट देनेके लिअे अुसपर जोर डालेंगे। लेकिन आखिरमें वह चाहे **ख** के लिअे अपना वोट दे, या कांग्रेसके खिलाफ, या फिर वोट देनेसे कतअी अिन्कार कर दे, हर हालतमें अुसे सन्तोष नहीं होगा। अुसे न सिर्फ अपनी पार्टी पसन्द करनेकी, बल्कि पार्टीमेंसे अपना अुम्मीदवार पसन्द करनेकी भी आज़ादी चाहिये।

वोट देनेके आजके तरीकेमें मतदाताको यह आज़ादी नहीं मिलती। हालाँकि पार्टीबन्दी आजके राजकी अेक महत्वकी संस्था बन गअी है, फिर भी अभी अुसे कानूनने नहीं माना है। वोट गिननेवाले अफसरको हरअेक अुम्मीदवारके बारेमें यह बताना पड़ता है कि वह किसी भी पार्टीका नहीं है। प्रत्यक्ष सत्यको कल्पित माननेका यह ढंग पार्टियोंको अुम्मीदवार पसन्द करनेके लिअे, चुनावका संचालन करनेको फण्ड अिकट्ठा करनेके लिअे और अैसा बहुतसा काम करनेके लिअे मजबूर कर देता है, जो मतदाताओं और अुम्मीदवार पर छोड़ दिया जाना चाहिये। अिससे पार्टीके भीतर ही भीतर पार्टीके लिअे नहीं बल्कि खुद अपने लिअे सत्ता हथियानेवाले लोगोंकी टोलियाँ बन जाती हैं, और अिसमेंसे तरह तरहकी बुरी रीत-रस्में और साजिशें पैदा होती हैं।

राजनीतिक पार्टियोंको कानूनी करार देनेसे यह बुराअी रोकी जा सकती है। जो अुम्मीदवार अपनी अुम्मीदवारीकी अर्जी देता है, अुसे अर्जीमें यह बतानेके लिअे कहा जाय कि वह किस पार्टीका है (अगर अुसकी कोअी पार्टी हो) और किस पार्टीका प्रतिनिधि बनना चाहता है। साथ ही अुससे अपनी पार्टीके किसी योग्य अफसरका प्रमाण-पत्र पेश करनेके लिअे कहा जाय, जिसमें यह बताया गया हो कि यह अुम्मीदवार पार्टीके नियमोंके मुताबिक चुनावके लिअे खड़ा रहनेके योग्य है। सम्भव है अेक ही निर्वाचन क्षेत्रमें अुसी तरहका प्रमाण-पत्र पाये हुअे अेक ही पार्टीकी नुमाअिन्दगी चाहनेवाले दूसरे अुम्मीदवार भी हों। मतदाता अपने आदमीके लिअे वोट देगा। लेकिन अुसका वोट अुस पार्टीको भी बतायेगा, जिसके लिअे अुसने वोट दिया है। अिसलिअे अुसका वोट अुम्मीदवारके साथ साथ पार्टीको भी मिलेगा। हो सकता है कि अिस मतदाताका चुना हुआ अुम्मीदवार नाकामयाब हो जाय। लेकिन अुसका दिया हुआ वोट बेकार नहीं जायगा, क्योंकि अुसके वोटकी गिनती पार्टीको दिये हुअे वोटोंमें की जायगी।

अेक अुदाहरणसे यह बात साफ हो जायगी। खयाल कीजिये कि अेक ही मेम्बर चुने जानेवाले निर्वाचन-क्षेत्रमें १०,००० मतदाता हैं। **क, ख** और **ग** नामके तीन अुम्मीदवार कांग्रेसके प्रतिनिधि बनना चाहते हैं। दूसरे दो—**अ** और **ब**—हिन्दू महासभाके प्रतिनिधि बननेकी आशा रखते हैं। और **प** स्वतंत्र अुम्मीदवार है। वोट रजिस्टरमें नीचेकी तरह दर्ज़ किये गये हैं:

कांग्रेस		हिन्दू महासभा		स्वतंत्र
क	१५००	**अ**	१६००	**प** ३५००
ख	१२००	**ब**	४००	
ग	७००			
	३४००		२०००	३५००

कुल दिये गये वोट ८९००

यहाँ वोटोंकी गिनती कैसी भी की जाय, यह तो साफ है कि मतदाताओंने स्वतंत्र अुम्मीदवार **प** को पसन्द किया है। अब हम **प** और अुसके वोटोंको भूल जायँ, और यह मान लें कि कांग्रेस और हिन्दू महासभाके अुम्मीदवारोंने ही चुनाव लड़ा है, और अूपर बताये हुअे हिसाबसे सिर्फ ५४०० मतदाताओंने ही चुनावमें भाग लिया है। व्यक्तिगत रूपसे **अ** को **क** से ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन अुसकी पार्टीको ३४०० वोट पानेवाली कांग्रेसके मुकाबले सिर्फ २००० वोट मिले हैं। अिसलिअे यह समझना चाहिये कि निर्वाचन-क्षेत्रने कांग्रेस पार्टीको चुना है और कांग्रेसकी तरफसे खड़ा होनेवाला **क** चुनावमें जीता है।

अिस तरीकेसे पार्टियोंका योग्य अुम्मीदवारोंको पसन्द करनेका काम बिलकुल खतम हो जायगा। अुनके लिअे सिर्फ प्रमाणपत्र देनेकी शर्तें तैयार करनेका काम रह जायगा, ताकि बनावटी अुम्मीदवार अुनके नामोंसे बेजा फायदा न अुठा सकें। चुनावमें शर्मनाक नाकामयाबी होनेपर जमानतका रुपया जप्त हो जानेका जो नियम है, वह बहुत ज्यादा अुम्मीदवारोंको चुनावमें भाग लेनेसे काफी हद तक रोकेगा। लेकिन जिनकी जमानत जप्त हो गअी है, अुन्हें दिये हुअे वोट भी बेकार नहीं जायँगे। क्योंकि पार्टीकी पसन्दगीमें तो अुन वोटोंकी गिनती की ही जायगी। (अूपरके अुदाहरणमें **ग** और **ब** दोनोंकी जमानत जप्त हो जाती है, लेकिन अिससे अुनकी पार्टियोंको कोअी नुकसान नहीं होता।)

दूसरे लेखमें मैं यह बताअूँगा कि अेकसे ज्यादा मेम्बर चुने जानेवाले निर्वाचन-क्षेत्रमें यह तरीका कैसे काम देगा।

(अंग्रेजीसे) **किशोरलाल मशरूवाला**

दिल्ली शान्ति कमेटीमें

[दिल्ली शान्ति कमेटीकी अेक मीटिंग ता० २-४-'४८ को हुअी। दूसरी मीटिंग ता० ४-४-'४८ को रखी गअी। अिस मीटिंगमें श्री मेहरचन्द खन्ना वगैरा भी शामिल थे, जो पिछली मीटिंगमें नहीं आये थे। मीटिंग खत्म होनेसे पहले विनोबाजीने नीचेके विचार जाहिर किये। —सं०]

अिस बातमें हम सब अेकराय हैं कि शरणार्थियोंको बसानेका काम जल्दी होना चाहिये। अगर वह जल्दी नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं गलती है। हमें अुसे दुरुस्त करना होगा। अुसके बारेमें तफसीलसे विचार करना होगा।

अभी मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ। अेक तो यह कि पाकिस्तान क्या करता है, यह देखकर हम यहाँ काम न करें। अुस खयालसे तो हम अपनेको दूसरेके हाथोंमें छोड़ देते हैं। फिर वह जैसा चाहेगा, वैसा हमें बनायेगा। यह ठीक नहीं है। अिस बारेमें हमें खुद पहल करनी चाहिये, और जो बात ठीक लगती है, वह करनी चाहिये। जनता तो नेताओंपर भरोसा रखकर चलती है। अुसे जो राह बताअी जायगी, अुसपर वह चलेगी। लोगोंको सही रास्ता बताना नेताओंका काम है। और सही रास्तेपर चलनेसे ही ताकत बढ़ती है।

दूसरी बात। अभी अेक भाअीने कहा—"हम हिन्दू हैं या मुसलमान, अैसा सोचना छोड़कर यह मानें कि हम सब हिन्दुस्तानी हैं।" अिसको मैं अेक हद तक मानता हूँ। लेकिन हमें तो यही विचार पक्का करना चाहिये कि सबसे पहले हम अिन्सान हैं, बादमें और कुछ। क्योंकि 'हिन्दुस्तानी'के अभिमानमें भी खतरा पड़ा है। वह आज नहीं दिखेगा, लेकिन आगे जाकर दीख पड़ेगा।

राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी

लेखक : **गांधीजी**

राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीके बारेमें गांधीजीके आज तकके सारे विचारोंका संग्रह। कीमत—डेढ़ रुपया, डाकखर्च—५ आने।

व्यवस्थापक, नवजीवन कार्यालय
पोस्ट बॉक्स १०५, अहमदाबाद

अहिंसा-सप्ताह

पानाछुरा (लंका) के युनिवर्सल कॉलेजके प्रिन्सिपाल डब्ल्यू० अेस० फर्नान्डोने अेक अपील निकाली है, जिसमेंसे नीचेका हिस्सा लिया गया है :

"जीवन अीश्वरकी सबसे बड़ी देन है। हमें किसी छोटे या बड़े प्राणीके जीवनको कम करनेका कोअी हक नहीं है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम मनुष्य और जानवर दोनोंके दुःखको कम करें। पिछले कुछ बरसोंसे लड़ाअियों, महामारियों और भूकम्पोंसे होनेवाले बेशुमार दुःखोंको देखकर दुनिया अूब गअी है। अब वह राहत और सुखका अैसा जमाना देखनेके लिअे अुत्सुक है, जो साम्प्रदायिक, धार्मिक और सियासी झगड़ोंसे मुक्त हो। अिसलिअे, हम अीमानदारीसे सारी मनुष्य जाति और गूँगे प्राणियोंको सुखी करनेकी कोशिश करें।

"हम अिस बातकी ओर आपका ध्यान खींचना चाहते हैं कि हमने १९२५ में बहुत छोटे पैमानेपर अहिंसा-आन्दोलन चालू किया था। पिछले बीस बरसोंमें अुसने धीरे धीरे तरक्की की है, और पिछले साल तो काफी अच्छा नतीजा बताया है।

"हम बिनती करते हैं कि सब लोग अिस अहिंसा-सप्ताहको मनानेमें हमें सहयोग दें, जो हर साल मअीके पहले सप्ताहमें मनाया जाता है। अिस सप्ताहमें नीचेके तीन नियमोंका पालन करना चाहिये :

१. किसी प्राणीकी जान न ली जाय।

२. सिर्फ शाकाहार किया जाय।

३. दिनके ११॥ से १ बजे तक जानवरोंको आराम दिया जाय और अिस बीच जानवरोंसे खींची जानेवाली सवारियोंमें सफर न किया जाय।

"हम यह बिनती करते हैं कि अिस अहिंसा-आन्दोलनको सफल बनानेके लिअे सारे धर्मों और संघोंके पुरोहित-पादरी और शिक्षक हमें सच्चा सहयोग दें।"

मैं अैसे सब लोगोंसे अिस अपीलकी सिफारिश करता हूँ, जिनके दैनिक जीवनमें अिन तीन पाबन्दियोंको माननेकी गुंजाअिश है। तीसरी बातकी तरफ अुन लोगोंको भी ध्यान देना चाहिये, जो कट्टर शाकाहारी हैं और कीड़ोंको भी नहीं मारते।

देशमें चारों तरफ फैले हुअे साम्प्रदायिक जहरको और अिस तरहकी अपीलको भी भारी गड़बड़ी पैदा करनेका बहाना बनानेकी सम्भावनाको ध्यानमें रखकर मैं अिस बातके प्रदर्शन और व्यवस्थित प्रचारकी सिफारिश नहीं करता। यह विचार बड़ा अच्छा है। जिन्हें यह अपील करे, अुनके व्यक्तिगत पालन और कोशिशोंसे यह ज्यादा मजबूतीसे लोगोंमें फैलाया जा सकता है।

वर्धा, १५-४-'४८

(अंग्रेजीसे) **किशोरलाल मशरूवाला**

विषय-सूची

		पृष्ठ
अंग्रेजीसे तरजुमा	... किशोरलाल मशरूवाला	८५
देहातियोंके बीच	... विनोबा	८६
अुद्योग धन्धोंके बारेमें राष्ट्रीय सरकारकी नीति	... श्रीमन्नारायण अग्रवाल	८७
ग्रामसेवक विद्यालय, वर्धा	...	८७
राजमें धार्मिक शिक्षण	... किशोरलाल मशरूवाला	८८
दिल्लीके सवाल-जवाब—१	... विनोबा	८९
वोट देनेका तरीका—१	... किशोरलाल मशरूवाला	९१
दिल्ली शान्ति कमेटीमें	... विनोबा	९२
अहिंसा-सप्ताह	... किशोरलाल मशरूवाला	९२